



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 24 जनवरी, 2019 ई0

माघ 04, 1940 शक सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या 85/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR-24

देहरादून, 24 जनवरी, 2019

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं0 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा 9 की उप धारा (1)" के पश्चात, कोष्ठक और अंक "और धारा 15 की उप धारा (5)" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची I- 2.5३ में, -

(i) क्रम संख्या 23, 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 123 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"123क	2515 11 00	मार्बल और ट्रावर्टाईन, कूड या स्फली ट्रिड";
-------	------------	---

- (iii) क्रम संख्या 198क को अब क्रम संख्या 198कक लिखा जाएगा और इस तरह लिखे गए क्रम संख्या 198कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“198क	4501	प्राकृतिक कार्क, कच्चा या साधारण रूप से तैयार किया गया”;
-------	------	--

- (iv) क्रम संख्या 224 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “63 [6305 32 00, 6309से भिन्न]”को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 225 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “फुटवियर जिसका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 225क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“225क	6602 00 00	वाकिंग स्टीक्स, जिसमें सीट स्टीक्स भी आती है
225ख	6815	फ्लाई ऐश की ईटें या फ्लाई ऐश समुच्चय जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स”;

- (vii) क्रम संख्या 234 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण : यदि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु की किसी आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति की जाती है और इसके साथ ही अन्य वस्तुओं और सेवाओं की भी आपूर्ति होती है तथा उनमें से एक, जो कि अधिसूचना संख्या 525/2017/9 (120)/XXVII (8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में उल्लिखित सारणी में क्रम संख्या 38 की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं में आती हो तो इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य ऐसी कुल आपूर्ति पर भारत सकल प्रतिफल का 70 प्रतिशत तक माना जाएगा। इस प्रकार भारत सकल प्रतिफल का बाकी 30 प्रतिशत उक्त कराधेय सेवा का मूल्य माना जाएगा।”;

- (viii) क्रम संख्या 243क को अब क्रम संख्या 243ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 243ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“243क	8714 20	दिव्यांग व्यक्तियों के कैरेज के भाग और सहायक उपकरण”;
-------	---------	--

(ग) अनुसूची II- 6%में,-

- (i) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

“101क	4502 00 00	प्राकृतिक कार्क, डिबेकड या रफली स्ववर्धार्ड या आयुताकार (वर्गाकार समेत) ब्लॉक्स, प्लेट्स, शीट्स या स्टीप्स (जिसमें कार्क या स्टापर के तेज किनारे वाले ब्लॉक्स भी आते हैं)
101ख	4503	प्राकृतिक कार्क की वस्तुएँ जैसे कार्क और स्टापर्स, शटलकार्क कार्क बॉटम
101ग	4504	पुंजित कार्क (चाहे इसमें जोड़ने वाले पदार्थ लगे हों या नहीं) और पुंजित कार्क की वस्तुएँ”;

- (ii) क्रम संख्या 102,126 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

- (iii) क्रम संख्या 171क को अब क्रम संख्या 171कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 171कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"171क	63053200	फलैक्सबल इंटरमिजेट बुल्क कंटेनर";
-------	----------	-----------------------------------

- (iv) क्रम संख्या 173 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द और कोमा "टहलने की छड़ीयां, आसन छड़ीयां," को निरसित किया जाएगा;

- (v) क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ) अनुसूची III - 9% में,-

- (i) क्रम संख्या 121क को अब 121ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 121ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"121क	4012	रबर के रिट्रीटेड या प्रयोग में लाए गए न्यूमैटिक टायर्स; सॉलिड या कुशन टायर्स, टायर ट्रेड और टायर फ्लैक्स, रबर के";
-------	------	--

- (ii) क्रम संख्या 142, 143, 144 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

- (iii) क्रम संख्या 369क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, "ट्रॉसमिशन शाफ्टस (जिसमें कैम शाफ्टस और क्रैंक शाफ्टस भी शामिल हैं) और क्रैंक्स; बियरिंग ह्राउसिंगस और प्लेन शाफ्ट बियरिंग्स; गियर्स और गियरिंग, बॉल या रोलर स्क्रू; गियर बाक्स और अन्य स्पीड चेंजर्स जिसमें टार्क कनवर्टर्स भी आते हैं; फ्लाइव्हील्स और पुल्ली, जिसमें पुल्ली बॉलक्स भी आते हैं; क्लचेस और शाफ्ट कपलिंग्स (जिसमें यूनिवर्सल ज्वाइंटस भी आते हैं) को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iv) क्रम संख्या 376कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"376ककक	8507	लीथियम-आयन एकमुलेटर्स (बैट्री से भिन्न), जिसमें लीथियम-आयन पावर बैक भी आते हैं";
---------	------	--

- (v) क्रम संख्या 383 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, "क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सी. सी. टी. वी.), रेडियो प्रसारण या टेलिविजन के लिए पारेषण उपस्कर, चाहे उसमें ग्रहण उपस्कर या ध्वनि अभिलेखन अथवा पुनरुत्पादन उपस्कर लगा हो या नहीं; टेलिविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर; सेना, पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों इत्यादि द्वारा प्रयोग किए जाने वाला दो-तरफा रेडियो (वाकी-टाकी) से भिन्ना" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (vi) क्रम संख्या 383ग में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंक और शब्द "68 सेंटीमीटर", के स्थान पर अंक और शब्द "32 इंच" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (vii) क्रम संख्या 384 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंक और शब्द "20 इंच", के स्थान पर अंक और शब्द "32 इंच" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (viii) क्रम संख्या 440क को अब क्रम संख्या 440ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 440ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"440क	9504	वीडियो गेम कंसोल्स और मशीनें, फनफेयर की वस्तुएं, टेबल्स या पार्लर गेम्स, जिसमें पिनटेबल्स, बिलियर्ड्स, कैसिनो गेम्स की स्पेशल टेबल्स और ऑटोमैटिक बॉलिंग एलेय उपकरण भी आते हैं, जैसी वस्तुएं [प्लेयिंग कार्ड्स, गंजिफा कार्ड्स, चैस बोर्ड, कैरम बोर्ड और 9504 90 के बोर्ड जैसे कि लूडो आदि के अन्य बोर्ड गेम्स से भिन्ना];
-------	------	---

(इ) अनुसूची IV - 14%में,-

- (i) क्रम संख्या 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 135 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 139 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में "लीथियम ऑयन बैट्री", शब्दों के पश्चात "और अन्य लीथियम-ऑयन इक्यूमुलेटर जिसमें लीथियम-ऑयन पावर बैक भी आते हैं" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 154 में कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंक और शब्द "20 इंच" और अंक और शब्द "68 सेंटीमीटर", दोनों के स्थान पर अंक और शब्द "32 इंच" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 174 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"174	8714	शीर्ष 8711 में आने वाले वाहनों के हिस्से और सहायक उपकरण";
------	------	---

(vii) क्रम संख्या 215 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी ।

आज्ञा से,
अमित सिंह नेगी,
सचिव ।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.85/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR-24, dated Dehradun, January 24, 2019 for general information:

No. 85/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR-24

Dated Dehradun, January 24, 2019

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 and sub-section (5) of Section 15 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No.514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the opening paragraph, after the words, brackets and figures "sub-section (1) of section 9", the words, brackets and figures "and sub-section (5) of section 15", shall be inserted;

(B) in Schedule I - 2.5%,

- (i) S. Nos. 23, 24 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (ii) after S. No. 123 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"123A	2515 11 00	Marble and travertine, crude or roughly trimmed";
-------	------------	---

- (iii) S. No. 198A shall be re-numbered as S. No. 198AA, and before S. No. 198AA as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

"198A	4501	Natural Cork, raw or simply prepared";
-------	------	--

- (iv) in S. No. 224, for the entry in column (2), the entry "63 [other than 6305 32 00, 6309] shall be substituted;

- (v) in S. No. 225, for the entry in column (3), the entry "Footwear whose sale value not exceeding Rs.1000 per pair" shall be substituted;

- (vi) for S. No. 225A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely: -

"225A	6602 00 00	Walking-Sticks including seat sticks
225B	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content; Fly ash blocks";

- (vii) in S.No. 234, in the entry in column (3), the following *Explanation* shall be inserted in the end, namely,

"*Explanation:* If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at S.No. 38 of the Table mentioned in notification No. 525/2017 /9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent of the gross consideration charged for all such supplies. The remaining thirty per cent of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service";

- (viii) S. No. 243A shall be re-numbered as S. No. 243B, and before S. No. 243B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

"243A	8714 20	Parts and accessories of carriage for disabled persons";
-------	---------	--

(C) in Schedule II - 6%,

- (i) after S. No. 101 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

"101A	4502 00 00	Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)
101B	4503	Articles of natural cork such as Corks and Stoppers, Shuttlecock cork bottom
101C	4504	Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork";

(ii) S. No. 102, 126 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(iii) S. No. 171A shall be re-numbered as S. No. 171AA, and before S. No. 171AA as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"171A	63053200	Flexible intermediate bulk containers";
-------	----------	---

(iv) in S. No. 173, in the entry in column (3), the words and commas "walking-sticks, seat-sticks," shall be omitted;

(v) S. No. 177 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(D) in Schedule III - 9%,

(i) S. No. 121A shall be re-numbered as S. No. 121B, and before S. No. 121B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"121A	4012	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber, solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber";
-------	------	--

(ii) S. Nos. 142, 143, 144 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(iii) in S. No. 369A, for the entry in column (3), the entry "Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)" shall be substituted;

(iv) after S. No. 376AA and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"376AAA	8507	Lithium-ion accumulators (other than battery) including lithium-ion power bank";
---------	------	--

(v) in S. No. 383, for the entry in column (3), the entry "Closed-circuit television (CCTV), transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders [other than two-way radio (Walkie talkie) used by defence, police and paramilitary forces etc]" shall be substituted;

(vi) in S.No. 383C, in the entry in column (3), for the figure and word "68 cm", the figure and word "32 inches" shall be substituted;

(vii) in S.No. 384, in the entry in column (3), for the figure and word "20 inches", the figure and word "32 inches" shall be substituted;

(viii) S. No. 440A shall be re-numbered as S. No. 440B, and before S. No. 440B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

"440A	9504	Video game consoles and machines, articles of funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, special tables for casino games and automatic bowling alley equipment [other than playing cards, ganjifa card, chess board, carom board and other board games of 9504 90 90 like ludo etc.]";
-------	------	--

(E) in Schedule IV - 14%,

- (i) S. No. 47 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (ii) S. No. 135 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (iii) in S.No. 139, in the entry in column (3), after the words "other than Lithium-ion battery", the words "and other lithium ion accumulators including lithium ion power banks" shall be inserted;
- (iv) S. No. 151 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (v) in S.No. 154, in the entry in column (3), for the figure and word "20 inches" and the figure and word "68 cm", both, the figure and word "32 inches" shall be substituted;
- (vi) for S. No. 174 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: -

"174	8714	Parts and accessories of vehicles of heading 8711";
------	------	---

(vii) S. No. 215 and the entries relating thereto, shall be omitted.

2. This notification shall come into force from the 1st January, 2019.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.